

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
सत्र परीक्षण सं०— 83/2015

07.07.2021

पुकारा गया। अभियुक्त राम जियावन उपस्थित। उसके द्वारा सूचित किया गया कि सह अभियुक्ता गीता देवी की मृत्यु एक सप्ताह पूर्व हो गयी है। अतः सम्बन्धित थाने से सह अभियुक्ता गीता देवी की मृत्यु आख्या मंगायी जावे। मृत्यु आख्या प्रस्तुत करने वाले अधिकारी उप निरीक्षक के स्तर से कम न हो।

पत्रावली दिनांक 10.09.2021 को अग्रिम आदेश/साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो।

सत्र न्यायाधीश
07.07.2021